न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छोटीसादड़ी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रे.फौ. प्रकरण संख्या: 07/2019 राज्य बनाम जगदीश उर्फ राम अन्तर्गत धारा 323 भा.दं.सं.	नम्बर व तारीख अहकाम या इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक: 25/03/2026

अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित। अभियुक्त रामबाबु मय अधिवक्ता श्री हितेश कुमार भांभी उपस्थित। प्रकरण साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर नियत है। इसी स्तर पर अभियुक्ता की ओर से अधिवक्ता श्री हितेश कुमार भांभी ने स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई।

मुल्जिम द्वारा की गई उपर्युक्त जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुल्जिम रामबाबु पिता किशनलाल, निवासी केसुंदा, पुलिस थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(मनीषा अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़

सजा के बिन्दु पर सुना गया। मुल्जिम अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया, कि मुल्जिम गरीब है तथा ग्रामीण परिवेश से है। मुल्जिम भविष्य में कभी ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगी। अतः मुल्जिम को कारावास से दंडित ना कर परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जावे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह जाहिर होता है कि पूर्व दोषसिद्धि बाबत् मुल्जिम के विरूद्ध कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मुल्जिम ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर जुर्म स्वीकार किया है एवं भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने का भी मौखिक वचन दिया है। अतः प्रकरण के उपर्युक्त व अन्य तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह न्यायालय मुल्जिम को नियमानुसार परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित पाता है।

रामबाबु
Ld.

दण्डादेश

परिणामतः अभियुक्त रामबाबु पिता किशनलाल, निवासी केसुंदा, पुलिस थाना छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.) को दोषसिद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323 आई.पी.सी में तुरन्त कारावास से दण्डित न किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा-4 का लाभ इन शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है कि यदि अभियुक्त एक वर्ष के लिए दस हजार रूपये के बंध पत्र एवं पांच-पांच हजार रूपये के जमानत-मुचलके, इस शर्त के साथ कि वे इस अवधि में परिशांति व सदाचरण बनाये रखेंगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तथा न्यायालय द्वारा सजा भुगतने हेतु तलब करने पर न्यायालय में उपस्थित होंगे, इस न्यायालय के संतोषप्रद पेश कर तस्दीक करा देवें, तो उन्हें परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत अभियोजन व्यय के रूप में 500/- रूपये अधिरोपित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्त दोषसिद्धि भविष्य में अभियुक्त को किसी प्रकार की निर्योग्यता से ग्रसित

नहीं करेगी।

आदेशानुसार मुल्जिम ने जमानत-मुचलके पेश किये, जो बाद जांच तस्दीक किये गये तथा जरिये बैंक जी.आर.एन. नंबर 120800222 के आज दिनांक को मुल्जिम ने 500/- रूपये की अभियोजन व्यय की राशी जमा करवाई। मुल्जिम को उक्तानुसार परिवीक्षा पर रिहा किया गया। अब पत्रावली पर कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल अभिलेखागार हो।

(मनीषा अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छोटी सादड़ी, जिला-प्रतापगढ़